

डिक्री बमुकदमें ईबदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), संगरिया पीठासीन अधिकारी


1. कृष्णलाल पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण 2. कुलदीपसिंह पुत्र नाजरसिंह जाति जटसिख निवासीगण हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) 3. सुशील कुमार बंसल पुत्र मदनलाल जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) 4. गुरनामसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति जटसिख 5. मंगलाराम पुत्र गिरधारीलाल पुत्र पदमाराम जाति जाट 6. बलवंतराम पुत्र प्रतापसिंह उर्फ रामप्रताप पुत्र पदमाराम जाति जाट 7. जयपाल जाखड़ पुत्र साहबराम जाखड़ पुत्र सम्मी पत्नी चुन्नीराम जाति जाट 8. जगतलाल पुत्र रूपराम पुत्र निकीया पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासीगण हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

— वादीगण

बनाम

1. लालोदेवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्र फतेहचन्द 2. विनोद कुमार पुत्र ताराचन्द पुत्र फतेहचन्द 3. अशोक कुमार पुत्र रजिराम पुत्र सुरजाराम समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नं.6 गांव भागू तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) 4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

— प्रतिवादीगण



राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व वाद सं. 171-2024

निर्णय दिनांक 02-9-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री जसवीरसिंह वकील वादीगण तथा राजपैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण तहसीलदार (भू.अ.) संगरिया के पत्र क्रमांक - प्रा. डिक्री/भू.अ./024/221 दिनांक 29.08.2024 की रिपोर्ट के मुताबिक निम्नानुसार डिक्री दी जाती है -

चक 3 एच.आर.पी. जमाबंदी संवत् 2072-75 खाता सं. 81/58

- (क) वादी सं.1 कृष्णलाल पुत्र काशीराम के आधिपत्य की भूमि-
- | प.नं.   | मु.नं. | किला नं.                         |
|---------|--------|----------------------------------|
| 196/116 | 75     | 11/0.181 है., 20.21/.253 है.प्र. |
- कुल 0.687 है.
- (ख) वादी सं.2 कुलदीपसिंह पुत्र नाजरसिंह के आधिपत्य की भूमि-
- | प.नं.   | मु.नं. | किला नं.        |
|---------|--------|-----------------|
| 196/116 | 75     | 11/1/0.072 है., |
- कुल 0.072 है.
- (ग) वादी सं.3 सुशील कुमार बंसल पुत्र मदनलाल के आधिपत्य की भूमि-
- | प.नं.   | मु.नं. | किला नं.           |
|---------|--------|--------------------|
| 196/116 | 75     | 19.22/.253 है.प्र. |
- कुल 0.506 है.

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार (भू.अ.) संगरिया के पत्र क्रमांक - प्रा.डिक्री/भू.अ./024/221 दिनांक 29.08.2024 द्वारा प्राप्त

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

वियोजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल-दरामद कर दिया जावे।

निज ..... मुब्लिक..... बाबत ..... खर्चा मुकदमें के मय शूद वा पीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।  
मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक ..... को जारी की गयी।





सहायक कलक्टर एवं उम्मीदवार अधिकारी (राजस्व)  
संघरिया